# रिक्त पदों की भर्ती सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता

■ कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं के साथ की विस्तृत चर्चा

■ इसके लिए कृषि विभाग तथा विश्वविद्यालयों को और समन्वित प्रयास करने होंगे

**बीकानेर ( निसं )।** प्रमुख शासन सचिव ( कृषि एवं उद्यानिकी ) मंजू राजपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं के साथ एसकेआरएयू स्थित कुल गुरु सभागार में बुधवार को चर्चा करते हुए राजपाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों के शोध अनुसंधान और तकनीक का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कृषि विभाग तथा विश्वविद्यालयों को और समन्वित प्रयास करने होंगे।

विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन की कमी विचारणीय मुद्दा है, मात्र 20-25 प्रतिशत पद ही भरे हुए हैं, भर्ती, पेंशन सहित विश्वविद्यालयों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के समक्ष तथ्य रखें जाएंगे, जिससे इस संदर्भ में संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निर्णय हो सके। राज्य सरकार के स्तर पर भर्ती की अनुमति से संबंधित कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि प्रदेश में फसलों का व्यापक विविधीकरण है, बागवानी की भी बहुत संभावनाएं हैं, उत्पादकता व किसानों की आय बढ़ाने में मृदा स्वास्थ्य अहम है। कृषि वैज्ञानिक तथा विभागीय अधिकारी किसानों को अधिकतम लाभ देने के लक्ष्य के साथ रोड मैप बनाकर कार्य करें। उन्होंने एक पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना से विश्वविद्यालयों को जुड़ते हुए स्थानीय किसानों के हित में कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि कृषि विभाग के साथ मिलकर केवीके तथा कृषि वैज्ञानिक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 में सक्रिय भागीदारी निभाएं, जिससे किसानों को इस आयोजन का पूरा लाभ मिल सके।

बैठक में एसकेआरएयू के कुलगुरु प्रोफेसर डॉ राजेंद्र बाबू दुबे ने विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों व समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चने की गणगौर और मूमल वैरायटी देश के 25इ क्षेत्र को कवर करती है। केवीके झुझनूं 70 लाख रुपए का बीज उत्पादन प्रतिवर्ष करता है। बीज उठाव की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्टेट सीड कॉरपोरेशन के साथ एमओयू करवाने की बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों , बकाया पेंशन भुगतान, औद्योगिक अपशिष्ट जल के एकत्र होने से विश्वविद्यालय की भूमि के ख़राब होने सहित विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी। डॉ दुबे ने बताया कि एसकेआरएयू में कुल 749 में से 290 पद भरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के करीब 202 पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्ती की अनुमति मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी, इस पर प्रमुख शासन सचिव ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करवाने की बात कही।

कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ विमला डुकवाल ने कहा कि मानव संसाधन में कमी विश्वविद्यालयों के समक्ष बड़ी समस्या है। उन्होंने राजकीय कृषि कॉलेजों में रिक्त पदों के कारण एफीलिएशन में आ रही समस्या से भी अवगत कराया। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ वी एस जैतावत ने विश्वविद्यालय में पानी की समस्या तथा डेवलपमेंट के लिए राशि जारी करवाने की बात कही।

एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु डॉ पीएस चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को पेंशन का पूरा लाभ मिले और पीएफ का बकाया पैसा समय पर जारी हो। एमपीयूटी उदयपुर के रजिस्ट्रार ने बताया कि विश्वविद्यालय में 80 प्रतिशत पद खाली होने से आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति बन रही है।

बैठक में अनुसंधान निर्देशक एसकेआरएयू डॉ. एन.के. शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान कृषि विभाग के जयदीप दोगने, मुकेश गहलोत, मंडी सचिव नवीन गोदारा सहित अन्य अधिकारी, वैज्ञानिक उपस्थित रहे। प्रमुख शासन सचिव ने एसकेआरएयू स्थित खजूर परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खजूर के टिशू कल्चर पौधों के साथ ऑफशूट से तैयार पौधों को भी लगाना चाहिए। खजूर का क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता बताते हुए प्रमुख शासन सचिव ने खजूर के टिशू कल्चर पौधे तैयार करने पर और अधिक अनुसंधान के निर्देश दिए। खजूर परियोजना प्रभारी डॉ राजेंद्र सिंह राठौड़ ने परियोजना की जानकारी दी।

## सार-समाचार

### नेत्रहीन छात्रावासित विद्यालय का हुआ निरीक्षण

**बीकानेर ( निसं )।** जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बुधवार को पटेल नगर स्थित राजकीय नेत्रहीन छात्रावासित विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की समस्त व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद कर शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साफ़-सफ़ाई, कक्षाओं की व्यवस्था, आवासीय एवं भोजन की स्थिति का अवलोकन किया। संस्था प्रधान को आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मुहैया करवाएं। इस दौरान पर नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलनीचामी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी किशन दान चारण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

### नगर स्थापना दिवस विचार गोष्ठी 18 को

**बीकानेर ( निसं )।** जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बीकानेर के 539वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र जोशी ने बताया कि यह संगोष्ठी शनिवार (18 अप्रैल) को आयोजित की जाएगी। इस वर्ष संगोष्ठी का मुख्य विषय 'हमारा नगर-हमारी जिम्मेदारी' रखा गया है, जिसमें शहर के विकास, विरासत के संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा की जाएगी। होटल लक्ष्मी निवास में आयोजित होने वाली गोष्ठी में शहर के प्रबुद्ध जन, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। आयोजन समिति ने सभी संबंधित नागरिकों और प्रबुद्ध जनों से समय पर पहुँचकर गोष्ठी को सफल बनाने का आग्रह किया है।

### किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

**बीकानेर ( निसं )।** उर्वरकों के संतुलित उपयोग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर कृषि विज्ञान केंद्र लूणकरणसर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्रबंधन तथा फसलों में उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. आर.के. शिवरान ने कहा कि फसलों में रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है, बल्कि उत्पादन लागत भी बढ़ाता है इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक प्रयोग करने की सलाह दी।

### सांवलिया पार्श्व नाथ मंदिर का 90 प्रतिशत निर्माण पूर्ण

**बीकानेर ( निसं )।** गंगाशहर स्थित श्री सांवलिया पार्श्व नाथ जिनालय अब अपने भव्य व आधुनिक स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मंदिर का करीब 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहीं शेष मार्बल कार्य प्रगति पर है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिथियों के ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। गंगाशहर का ऐतिहासिक गोल मंदिर अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक विकसित होते तीर्थ के रूप में उभर रहा है।

## तस्करी रोकने में आमजन की भूमिका रही अहम

■ पतंगों पर मादक पदार्थों के खिलाफ अंकित स्लोगन

**बीकानेर ( निसं )।** पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कहा कि बीकानेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी तथा बेचने वालों के खिलाफ आपरेशन नीलकंठ में आमजन का सहयोग जरूरी है। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व बेचने व सेवन करने वाले लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे है ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए कही। जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ङआपरेशन नीलकंठङ अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता भूरमल सोनी, सीए प्रणाम, सीए निकिता, कर्मचारी नेता भंवर पुरोहित, न्यायालयकर्मी राजकुमार पुरोहित, महावीर कुमार सहदेव, लक्ष्मण सोनी द्वारा अक्षय तृतीया पर पतंगों का जगह-जगह वितरण कर जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। एसपी पतंगों पर मादक पदार्थों के खिलाफ अंकित श्लोगन पढ़कर अभिभूत हुए उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि कलाकारों द्वारा पतंगों के कट आउट तथा नि:शुल्क वितरण करने से दूरदराज तक पचार प्रसार होकर ऑपरेशन नीलकंठ सफल हो सकेगा। अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर सख्त कार्रवाई और बीकानेर में नशे की रोकथाम के के प्रयास के लिए पतंगों पर विभिन्न स्लोगन लिखी पतंगों का नि:शुल्क वितरण किया गया।

पतंगों पर पुलिस हैल्पलाइन नम्बर, नशे के दुष्परिणामों, हिंसक घटनाओं, तथा सड़क दुर्घटनाओ की जानकारी सम्बन्धित सन्देश उकेरें गये। आमजन नशे के तस्करों, आसपास नशे का सेवन व बेचने वालो की सूचना पुलिस को दे सके। बीकानेर में एसपी द्वारा नशे के विरुद्ध निर्णायक अभियान ऑपरेशन नीलकंठ को सफल बनाने के लिए आमजन से अपील की गई। चाइनीज़ मांझे का उपयोग न करे एवं बाल-विवाह रोकथाम सन्देश भी अंकित किए गए। अभियान निरन्तर जारी रख नशे के विरुद्ध निर्णायक प्रहार, सुरक्षित समाज आदि जानकारी लिखकर पतंगों माध्यम से आमजन तक पहुंचाई जाने के लिए नि:शुल्क पतंगों का वितरण किया जाएगा।

## नवाचार जिला परिषद में हेल्पलाइन शुरू

**बीकाने ( निसं )।** ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी, प्रस्ताव और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला परिषद में हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार आमजन अब विभागीय योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने, समस्याओं के समाधान तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0151-2226016 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकेंगे। हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए दो कार्मिकों की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगाई गई है। इनमें निर्मल स्वामी (कनिष्ठ सहायक) तथा आशीष राजवंशी (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर) शामिल हैं। दोनों कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे हेल्पलाइन पर प्राप्त सभी प्रस्ताव, जानकारी और शिकायतों का विधिवत रजिस्टर में संधारण करें तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आमजन को राहत पहुंचाएं।

## प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर गुप्ता ने समीक्षा बैठक ली

**श्रीगंगानगर, ( निसं )।** मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश निरंतर रूप से प्रगति पथ की ओर बढ़ रहा है। 2 वर्ष 4 माह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई है जिसकी बदौलत प्रदेश में युवा, किसान, महिला सहित सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।

यह उद्बोधन स्वच्छ भारत मिशन शहर राजस्थान सरकार के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता ने एक बैठक में दिया। ब्रांड एंबेसडर गुप्ता द्वारा श्रीगंगानगर जिले की सभी नगर निकायों की बैठक को संबोधित किया गया जिसमें स्वच्छ भारत मिशन शहर सहित अन्य सभी घटक जो शहरी विकास के लिए आवश्यक है, उन कार्यों की समीक्षा लेते हुए गंगानगर के प्रत्येक शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के प्रारंभ में नगर परिषद श्रीगंगानगर आयुक्त नयन गौतम आईएएस श्री गंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा गुप्ता का स्वागत किया गया। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि हमारा राज्य समृद्ध और विकसित बने जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान सबसे प्राथमिक कड़ी का कार्य करता है। मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम जिसमें लगभग 30 हज़ार कराड़ रुपए से अधिक का निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए जिसमें से हज़ार करोड़ के एमओयू पर काम भी प्रारंभ हो गया है यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है जिसका सारा श्रेय राजस्थान मुख्यमंत्री को जाता है इससे राजस्थान समृद्ध और विकसित राजस्थान बनेगा तथा हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री संकल्प को स्वच्छ राजस्थान बनाकर बताना होगा।

## विकास प्राधिकरण अध्यक्ष ने बीडीए का किया औचक निरीक्षण

■ आमजन से जुड़े कार्य प्राथमिकता से करने के दिए निर्देश

**बीकानेर ( निसं )।** जिला कलेक्टर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) अध्यक्ष निशांत जैन ने बुधवार को बीडीए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन परिसर का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। परिवादियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और निस्तारण के लिए अधिकरियों को निर्देशित किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पत्रावलियों का ऑनलाइन प्रेषण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक पेंडेंसी बिल्कुल नहीं रहे। साथ ही नागरिक सेवा केंद्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर लोक सेवाओं की अदायगी में जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए सिंगल विंडो व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निर्देशित किया उन्होंने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बीडीए द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति जानी और स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर बीडीए आयुक्त सिद्धार्थ पलनीचामी, सचिव कुलराज मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

## जयपाल मीणा बने जिलाध्यक्ष

**बीकानेर ( निसं )।** मीणा समाज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ, समस्त विभाग की जिला स्तरीय बैठक कर्मचारी मैदान में संयोजक मोहर सिंह सलावद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं बिरसा मुंडा की तस्वीर पर दीप प्रज्ज्वलित एवं मालार्पण से हुई। बैठक में सभी विभागों में कार्यरत मीणा समाज के अधिकारी कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं जिनमें समय पर पदोन्नति, रोस्टर रजिस्टर का नियमानुसार संधारण करवाने, पदों का वर्गीकरण, सभी विभागों में होने वाली भतिर्यों सहित संविदा कर्मचारियों की भर्ती में भी नियमानुसार आरक्षण देने, सभी विभागों में बनने वाली समितियों में एक एसटी कार्मिक को शामिल करवाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

संयोजक मोहर सिंह सलावद ने बताया की महासंघ की जिला कार्यकारिणी का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर महासंघ की कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ जिसमें संयोजक मोहर सिंह सलावद, जिलाध्यक्ष जयपाल मीणा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम सिंह मीणा, जिला प्रवक्ता मानराज भील, जिला महामंत्री मनीष काचरिया, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मीणा, जिला कोषाध्यक्ष ताराचंद मीणा, जिला संगठन मंत्री बाबूलाल सार सोंप, जिला संरक्षक श्रीराम मीणा, आरपी मीणा, जिला सचिव के रूप में सुनील मीणा को शामिल किया गया।


**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक :- नियमन/2026/राजकाज रेफ नं. 5282 दिनांक : 10.4.2026
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 19/20 के किला नं. 2 में भूखण्ड संख्या का माप 37'-6" गुणा 70'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राम किशन सोनी पुत्र श्री देवी चन्द सोनी निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राम किशन सोनी पुत्र श्री देवी चन्द सोनी निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 19/20 के किला नं. 2 में भूखण्ड संख्या का माप 37'-6" गुणा 70'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
– सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक :- नियमन/2026/राजकाज रेफ नं. 5289 दिनांक : 15.4.2026
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0" गुणा 60'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री रामचन्द निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री रामचन्द निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0" गुणा 60'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
– सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक :- नियमन/2026/5288 दिनांक : 15.4.2026
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 01 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0" गुणा 30'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री हनुमान सिंह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री हनुमान सिंह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 01 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0" गुणा 30'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
– सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक :- नियमन/2026/5283 दिनांक : 15.4.26
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 12 में भूखण्ड संख्या का माप 16'-6" गुणा 65'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती झन्कार देवी पत्नी श्री मालाराम ओझा निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती झन्कार देवी पत्नी श्री मालाराम ओझा निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 12 में भूखण्ड संख्या का माप 16'-6" गुणा 65'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। – सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक :- नियमन/2026/21357535 दिनांक : 02.4.26
**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 20/21 के किला नं. 7 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0" गुणा 70'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती संन्तोष पत्नी श्री मनीराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती संन्तोष पत्नी श्री मनीराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 20/21 के किला नं. 7 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0" गुणा 70'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
– सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक: नियमन/2026/5284 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 15.04.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हेमलता पत्नी श्री नन्दलाल निवासी गली नं. 1, मुरारी कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

| न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण | | आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| भूमि का विवरण | मूल भूखंडधारी | दस्तावेज का विवरण |
| चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं० 22 किला नं० 24,25 में वाक 30 इन्ट् 60 फीट भूखण्ड संख्या के-15 में 15 इन्ट् 60 फीट कोर्नर हिस्सा, श्रीगंगानगर | उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 5244 दिनांक 25.05.2016 को श्रीमती रश्मि नागपाल पत्नी श्री भीमसेन नागपाल जरिये मु.आ. भीमसेन नागपाल पुत्र श्री पूर्णचन्द्र नागपाल के नाम से जारी किया हुआ है। | श्रीमती हेमलता द्वारा पंजीकृत बेचानामा दिनांक 12.09.2024 को प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है। |

इस प्रकार उक्त भूखंड के संबंध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण चाहा गया है। इस संबंध में श्रीमती हेमलता पत्नी श्री नन्दलाल निवासी गली नं. 1, मुरारी कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर द्वारा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखंड से संबंधित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या - SGNR/FY25-26/MUT/1488
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
क्रमांक: नियमन/2026/5285 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 15.04.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नन्द लाल निवासी म.न. 49, न्यू अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

| न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण | | आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| भूमि का विवरण | मूल भूखंडधारी | दस्तावेज का विवरण |
| चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं० 27/29 किला नं० 08 में माप 30 इन्ट् 70 फीट भूखण्ड संख्या सी-09, शिव नगर, श्रीगंगानगर | उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 2363 दिनांक 30.01.2013 को श्रीमती मनोहरी देवी पत्नी श्री देवीलाल के नाम से जारी किया हुआ है। | श्री अर्जुन सिंह द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.02.2026 पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है। |

इस प्रकार उक्त भूखंड के संबंध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण चाहा गया है। इस संबंध में श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नन्द लाल निवासी म.न. 49, न्यू अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखंड से संबंधित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या - SGNR/FY25-26/MUT/1536
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2026/5286 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 15.04.2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 48/50 के किला नं. 24,25 में भूखण्ड संख्या 72 बी का माप 14'-9'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्री विनोद गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गर्ग व श्री गोपाल गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गर्ग एवं श्रीमती कुसुम पत्नी श्री राम चन्द, श्रीमती सुनीता पत्नी श्री लक्ष्मण निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री विनोद गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गर्ग व श्री गोपाल गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गर्ग एवं श्रीमती कुसुम पत्नी श्री राम चन्द, श्रीमती सुनीता पत्नी श्री लक्ष्मण निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 48/50 के किला नं. 24,25 में भूखण्ड संख्या 72 बी का माप 14'-9'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर**
क्रमांक :- राजकाज 21395782 दिनांक :- 02/04/2026
**आवंटन विज्ञप्ति**
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), श्रीगंगानगर के मुख्य मण्डी प्रांगण में निर्मित एग्रो ट्रेड टावर में आवंटन हेतु रिक्त एवं उपलब्ध 85 ट्रेड कार्यालयों (साईज 3.78 x 4.70 वर्ग मीटर के 57 कार्यालय एवं 4.07 x 4.70 वर्ग मीटर के 28 कार्यालय कुल 85 ट्रेड कार्यालय) का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर निर्धारित आरक्षित दर पर किया जावेगा। इस हेतु एग्रो ट्रेड टावर के प्रथम तल को भू-तल माना जाकर आरक्षित आवंटन दर 74341 रुपये प्रति वर्ग मीटर में भू-तल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक तल की तल वार 5%, 7.5% एवं 10% की कमी करते हुये आवंटन किया जावेगा। आवंटित ट्रेड कार्यालयों के संबंध मे लीज राशि निर्धारित आवंटन राशि की 01 प्रतिशत होगी। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् 25 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
प्रथम एवं द्वितीय तल का आवंटन आरक्षित वर्गों हेतु ट्रेड कार्यालयों के आरक्षण के पश्चात् उपलब्ध ट्रेड कार्यालयों को मुख्य मण्डी / गौण मण्डी / प्राईवेट सब मण्डी यार्ड के (प्रांगण के अन्दर एवं बाहर व्यवसायरत) समस्त अनुज्ञापत्रधारी आवेदकों एवं सम्भाग की अन्य मण्डियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायियों को जिन्हें (पूर्व में दुकान / भूखण्ड / गोदाम आवंटित हो या नही हो दोनों परिस्थितियों में) सम्बन्धित तल की आरक्षित दर में आवंटन तिथि तक का एग्रो ट्रेड टावर का मूल्यह्रास (depreciation) को घटाते हुये निर्धारित आरक्षित दर को आधार रखते हुये किया जावेगा। एक ही व्यवसायिक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में आवंटन नीलामी पद्धति से किया जावेगा। किन्तु उक्त आवंटन में सर्वप्रथम मुख्य मण्डी प्रांगण के अनुज्ञापत्रधारियों को प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात् गौण मण्डी / प्राईवेट सब मण्डी के अनुज्ञापत्रधारियों को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके उपरान्त संभाग की मण्डियों के अनुज्ञापत्रधारियों को प्राथमिकता दी जावेगी। उपरोक्त के पश्चात् यदि ट्रेड कार्यालय आवंटन से शेष रहते है तो अन्य पेषेवरों को कार्यालय खोलने के लिए आवंटन किया जावेगा।
तृतीय एवं चतुर्थ तल पर आरक्षित वर्गो हेतु ट्रेड कार्यालयों के आरक्षण के पश्चात् उपलब्ध ट्रेड कार्यालय कृषि आदानों, कृषि यंत्रों के आपूर्तिकर्ताओं एवं कृषकों से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित करने वाली संस्थाओं / व्यक्तियों / एफ.पी.ओ एवं एफ.पी.सी. / कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली कॉर्पोरेट कम्पनी / संस्थाओं को 50 प्रतिशत तक कार्यालय स्थल आवंटित किये जा सकेंगे। यदि उपरोक्त वर्गो से आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो रिक्त शेष कार्यस्थल का सीए, डाक्टरों, परिवहन ऑपरेटरों, 'क' / 'ख' वर्ग दलाल, बीमा कम्पनी, एनसीडीएक्स, ई-कॉमर्स, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं अन्य कॉर्पोरेट कम्पनियों जैसे पेशेवरों को आवंटन किया जावेगा। एक ही व्यवसायिक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में आवंटन नीलामी पद्धति से किया जावेगा।
एग्रो ट्रेड टॉवर में कृषक वर्ग एवं निःशक्तजन का आरक्षण समस्त तलों पर उपलब्ध ट्रेड कार्यालयों को सम्मिलित कर किया जावेगा। कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु उपलब्ध ट्रेड कार्यालयों में से 20 प्रतिषत ट्रेड कार्यालयों का आवंटन कृषक वर्ग को किया जायेगा। उक्त कृषक वर्ग हेतु आरक्षित ट्रेड कार्यालयों में से क्रमशः 28 प्रतिशत ट्रेड कार्यालय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषक वर्ग हेतु (16:12 के अनुपात में) आरक्षित कर आवंटन किया जावेगा। उक्त आरक्षित ट्रेड कार्यालयों में से 5 प्रतिशत ट्रेड कार्यालय विधवा महिला कृषकों (On Horizontal Basis) हेतु आरक्षित किये जाकर आवंटित किये जावेंगे।
इस हेतु ऐसा कृषक जो राजस्व अभिलेख में आवंटन विज्ञप्ति जारी करने से कम से कम दो वित्तीय वर्ष पूर्व से स्वयं के नाम से न्यूनतम एक बीघा भूमि धारण करता हो अथवा जिनकी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी (पुरुष / महिला) की भूमि हो, तथा वह वास्तविक रूप से उस भूमि पर तत्समय पर कृषि कार्य करता हो एवं जमाबन्दी के साथ गिरदावरी से सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करता हो, वे आवंटन हेतु पात्र होंगे तथा कृषक की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि इस मण्डी के क्षेत्र में अवस्थित हो एवं कृषक इस मण्डी के क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करता हो।
ट्रेड कार्यालयों के आवंटन में ऐसे निःशक्तजन जो निःशक्तजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण रखते हों तथा सम्बन्धित वर्ग हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण रखता हो को अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग, कृषक वर्ग तथा अनुज्ञापत्रधारी वर्ग हेतु उपलब्ध ट्रेड कार्यालयों में 4 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) ट्रेड कार्यालय आरक्षित किये जाकर संबंधित वर्ग हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटित किये जावेंगे।
उक्तानुसार ट्रेड कार्यालयों के आवंटन पश्चात सम्बन्धित आंवटी को 'क' वर्ग दलाल का अनुज्ञापत्र भी स्वीकृत किया जा सकेगा। अतः उक्तानुसार पात्र एवं इच्छुक आवदेकों से इस कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), श्रीगंगानगर के मुख्य मण्डी प्रांगण में निर्मित एग्रो ट्रेड टावर में आवंटन हेतु उपलब्ध 85 ट्रेड कार्यालयों के आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन प्रक्रिया के अर्न्तगत नियमानुसार निर्धारित शर्तो पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
इस हेतु आवेदन पत्र एवं शर्ते 200 रुपये आवेदन प्रपत्र शुल्क मय 36 रुपये जीएसटी कुल राशि 236 रुपये नकद / बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाकर इस मण्डी समिति कार्यालय से दिनांक 06.04.26 से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र मय संलग्नक दिनांक 07.05.26 को सांय 5:00 बजे तक इस मण्डी समिति कार्यालय में निर्धारित धरोहर राशि 10000 रुपये जरिये बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जमा करवाये जा सकते है। धरोहर राशि बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट "कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर" के नाम से श्रीगंगानगर में ही देय द्वारा ही स्वीकार्य होगी। चैक अथवा नकद राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
ट्रेड कार्यालयों के आवंटन से सम्बन्धित अन्य जानकारी इस मण्डी समिति कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर देखी एवं प्राप्त की जा सकती है। आवंटन हेतु उपलब्ध ट्रेड कार्यालयों की संख्या में आवंटन प्रक्रिया के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर कमी / वृद्धि की जा सकती है।
प्रशासक सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर
राज.संवाद/सी/26/892